रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 1973/आषाढ 8, 1895

No. 156] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 1973/ASADHA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th June 1973

SUBJECT.—*Import policy for raw materials and components for actual users for April 1973—March 1974 period.*

No. 109-ITC(PN)/73.—Attention is invited to para 3 of Ministry of Commerce Public Notice No. 74-ITC(PN)/73, dated the 22nd May, 1973 in terms of which actual users are required to furnish itemwise details with value of imports made under the facility provided in the Public Notice at the time of clearance of goods from the customs.

2. It has been decided that the itemwise details which are required to be furnished by the importers at the time of clearance as provided in para 3 of Ministry of Commerce Public Notice No. 74-ITC(PN)/73, dated 22nd May, 1973 should be in the proforma annexed to this Public Notice.

ANNEXURE

Statement of imports made under the Ministry of Commerce Public Notice No. 74-ITC(PN)/73, dated the 22nd May, 1973.

Customs port of clearance.....

Name of the licensee	No., date and value of the import licence	Description of items imported and their value		Date of shipment of goods
		Item	C.I.F. Value Rs.	
		(i)		
		(ii)		
		(iii)		
		etc.		
		Total value—Rs.		

Signature of the importer
Full Address
Designation

Dated .....

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 29 जून, 1973

विषय,—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए कच्चे माल और संघटकों के लिए आयात नीति ।

संख्या 199-आईटीसी (पीएन)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 74-आईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 22 मई, 1973 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसके अनुसार सीमाशुल्क पत्तनों से माल की निकासी के समय सार्वजनिक सूचना में दी गई सुविधा के अन्तर्गत किए गए आयातों के मूल्य के साथ मदवार ब्यौरे प्रस्तुत करना वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए आवश्यक है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 74-आईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 22 मई, 1973 के पैरा 3 में यथा उल्लिखित मदवार ब्यौरे जो आयातक द्वारा निकासी के समय प्रस्तुत करने आवश्यक हैं, व प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना में संलग्न प्रपत्र में होने चाहिएं ।

अनुबन्ध

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 74–आईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 22 मई, 1973 के अधीन किए गए आयातों का विवरण

निकासी का सीमाशुल्क पत्तन.....

लाइसेंसधारी का नाम	आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मल्य	आयात की गई मदों का मूल्य और उनका विवरण			मास के पोतलदान की तिथि
		मद	लागत बीमा-भाड़ा	मूल्य (रु०)	
		(1)			
		(2)			
		(3)			
		आदि			
		कुल मूल्य रु०			

आयातक के हस्ताक्षर

पूरा पता

पदनाम

दिनांक:

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973